

कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, जनपद बांदा ।

विज्ञप्ति संख्या 1551 / व्यवस्थापन / 2022-23 / दिनांक : 05-01-22

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2022-23 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या- 02 / 2022 / 01ई-2 / तेरह-2022-01 / 2020-1419282 / दिनांक : 01.01.2022 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- 19938 / दस-लाइसेंस-367 / सुझाव आबकारी नीति / 2022-23 / दिनांक : 02.01.2022 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि जनपद बांदा में वर्ष 2022-23 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 09.01.2022, प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2021-22 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिये अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2022, समय प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 21.01.2022, समय सायं 05:00 बजे तक ई-लॉटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात् जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई-लॉटरी के प्रथम चरण के माध्यम से दिनांक 12.03.2022 को समय 12:00 बजे से किया जायेगा।

जनपद बांदा मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई-लॉटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद बांदा की वेबसाइट www.band.nic.in तथा ई-लॉटरी पोर्टल पर देखी जा सकती है।

(संतोष कुमार)

जिला आबकारी अधिकारी,
बांदा।

(अनुराग पटेल)

जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी,
बांदा।

संख्या 1552-53 / तददिनांक

प्रतिलिपि : सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र ~~दैनिक जागरण काठार~~ अमर उन्नाव को इस आशय से कि न्यूनतम स्थान में बांदा वाले पृष्ठ में राजकीय दर पर प्रकाशित कराकर भुगतान हेतु बिल अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

(संतोष कुमार) 31/1/22
जिला आबकारी अधिकारी,
बांदा।

Revy
RHR
6/22

o/c

Shobha
06/01/2022